निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु जनपद की तहसीलों में स्थापित मतदाता पंजीकरण केन्द्रों तथा जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु कुल 08 (आठ) डाटा इन्ट्री आपरेटर्स जिनकी न्यूनतम शैक्षिक/तकनीकी योग्यता इण्टरमीडिएट+ कम्प्यूटर प्रचालन में DOEACC सोसाइटी द्वारा सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ–साथ टंकण हिन्दी/अंग्रेजी में 25 शब्द प्रति मिनट होगी, को आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने हेतु मैन पावर आउट सोर्सिंग एजेन्सी, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर इत्यादि तथा अन्य अधिकृत एवं इस हेतु पंजीकृत प्रतिष्ठित सेवाप्रदाता संस्थाओं से दिनांक30.06.2017 की अपराह्न 02.00 बजे तक मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। प्रत्येक डाटा इन्ट्री आपरेटर को श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी न्यूनतम पारिश्रमिक (Minimum Wages) के आधार पर पारिश्रमिक देय होगा, जिसपर नियमानुसार निर्धारित सर्विस टैक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज तथा श्रम संबंधी विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत देय वैधानिक चार्जेज अलग से देय होंगे। डाटा इन्ट्री आपरेटरों की सेवायें नाइलेट, यू0पी0डेस्को, यू0पी0एल0सी0, अपट्रान, निक्सी एवं "मैन पावर आउट सोर्सिंग एजेन्सी" उ0प्र0 उद्योग निगम लि0 कानपुर द्वारा अधिकृत एवं इस हेतु पंजीकृत प्रतिष्ठत सेवा प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से मान्य होगी । इच्छुक सेवा प्रदाता संस्था को अपनी मुहरबन्द निविदा के साथ अर्नेस्टमनी के रूप में रू0 10,000–00 की राशि ट्रेजरी चालान द्वारा जमा करके प्रस्तुत करनी होगी।

अतः इच्छुक सेवा प्रदाता संस्था अपनी मुहरबन्द निविदाएं दिनांक 30.06.2017 की अपराह्न 02.00 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय में रखी टेण्डर पेटिका में डाल सकते हैं। नियत समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। टेण्डर फार्म किसी भी कार्य दिवस में जिला निर्वाचन कार्यालय, गाजीपुर से रूपये 200–00 ट्रेजरी चालान द्वारा जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त निविदाएं उसी दिन अपराह्न 04.00 बजे निविदाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी। निविदा की शर्तों आदि का विवरण ghazipur.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

21/06/17

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी
गाजीपुर।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, गाजीपुर।

संख्या 1378 /निर्वाचन–565/2017 दिनांक 22 जून, 2017

प्रतिलिपि–1. मुख्य कोषाधिकारी, गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रेस संवाददाता को इस आशय से प्रेषित है कि वे अपने दैनिक समाचार पत्रों, अमर उजाला, हिन्दुस्तान में सशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
4. जिला निर्वाचन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

जिला निर्वाचन अधिकारी
गाजीपुर।

\\Election3-pc\e\Shiv Prakash\Letter 2.doc2

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, गाजीपुर
निविदा की शर्ते

कार्य का विवरण–	आउट सोर्सिंग के माध्यम से डाटा इन्ट्री आपरेटर/ कम्प्यूटर सहायकों की सेवाएं लिये जाने हेतु।
निविदा आमंत्रित करने वाले पत्र की संख्या–1378 दिनांक 22.06.2017	निविदा का मूल्य–200.00
धरोहर की धनराशि रू0– 10,000–00	
निविदा प्रस्तुत करने का दिनांक–	30.06.2017 अपराह्न 02.00 बजे तक
डाटा इन्ट्री आपरेटर/कम्प्यूटर सहायकों की सेवा अवधि–	दिनांक 01.07.2017 से 28.02.2018 तक के लिए अनुबंधित की जायेगी।

नियम व शर्तें

1. टेण्डर फार्म सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 30 .06.2017 की अपराह्न 02.00 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे ।
2. संबंधित सेवाप्रदाता संस्था को टेण्डर फार्म के साथ रू0 10,000/– (रूपये दस हजार) की राशि भारतीय स्टेट बैंक, गाजीपुर में ट्रेजरी चालान द्वारा जमा कर धरोहर के रूप में संलग्न करनी होगी ।
3. सेवाप्रदाता संस्थाओं से प्राप्त सीलबन्द निविदाऐं दिनांक 30..06.2017 को ही अपराह्न 04.00 बजे निविदाताओं के समक्ष खोली जायेंगी ।
4. डाटा इन्ट्री आपरेटरों की सेवायें नाइलेट, यू0पी0डेस्को, यू0पी0एल0सी0, अपट्रान, निक्सी एवं मैनपावर आउट सोर्सिंग एजेन्सी, उ0प्र0 उद्योग निगम लि0 कानपुर द्वारा अधिकृत एवं इस हेतु पंजीकृत प्रतिष्ठित सेवा प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से मान्य होगें ।
5. सेवाप्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले डाटा इन्ट्री आपरेटर/कम्प्यूटर सहायक की न्यूनतम शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हता इण्टरमीडिए + कम्प्यूटर प्रचालन में DOEACC सोसायटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण–पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष प्राप्त किसी प्रमाण–पत्र के साथ–साथ टंकण हिन्दी/टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति अपेक्षित होगी ।
6. स्थानीय स्तर पर रखे जाने वाले कार्मिकों को नियमानुसार कुशल श्रेणी के कार्मिकों हेतु अनुमन्य न्यूनतम पारिश्रमिक (Minimum Wages) देय होगा जो कि वर्तमान में कार्यालय श्रम आयुक्त, उ0प्र0 जी0टी0रोड, कानपुर के पत्र संख्या–471–500 दिनांक 27.03.2017 के आधार पर कुशल श्रेणी के कार्मिकों हेतु कुल रू0 9,119/– प्रति कार्मिक, प्रति माह पारिश्रमिक निर्धारित है । उक्त अनुमन्य पारिश्रमिक वर्तमान में दिनांक 30.09.2017 तक अनुमन्य होगा । श्रमायुक्त कानपुर द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अर्न्तगत देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता में बढोत्तरी की दशा में उक्त धनराशि में तद्नुसार वृद्धि हो जायेगी
7. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा लिया जाने वाला Administrative Charges, (Maximum 8% on minimum wages अथवा वास्तविक जो भी कम हो), applicable Service Tax (वर्तमान में सर्विस टैक्स @ 14%, SBC @ 0.50% & KKC@ 0.50%) तथा श्रम सम्बन्धी विभिन्न अधिनियमों के अर्न्तगत देय वैधानिक चार्जेज EPF (Employee Share @ 12%, Employer Share @ 13.36%) & ESI (Employee Share @ 1.75%, Employer Share @ 4.75%) अलग से देय होंगे ।
8. Administrative Charges को छोड़कर शेष विद्यमान/लागू करों की दरों में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा बदलाव की स्थिति में तद्नुसार उक्त दर में घटोत्तरी/बढोत्तरी हो जायेगी जिसको लागू करने का दायित्व चयनित सेवाप्रदाता संस्था का होगा ।
9. स्थानीय स्तर पर चयनित सेवाप्रदाता संस्था को Minimum Wages के आधार पर अनुमन्य पारिश्रमिक के सापेक्ष 8% Administrative Charges अथवा वास्तविक जो भी कम हो,देय होगा ।
10. चयनित सेवाप्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को प्रति माह पारिश्रमिक का भुगतान केवल उनके बचत खाते में ई–पेमेन्ट के माध्यम से ही स्थानान्तरित करना होगा । कार्मिकों को कोई नकद भुगतान, चेक अथवा ड्राफ्ट से देय नहीं होगा ।

\\Election-pc\f\Continuous Revision 2017\VRC Oprator1.doc2

10. चयनित सेवाप्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को प्रति माह पारिश्रमिक का भुगतान केवल उनके बचत खाते में ई–पेमेन्ट के माध्यम से ही स्थानान्तरित करना होगा । कार्मिकों को कोई नकद भुगतान, चेक अथवा ड्राफ्ट से देय नहीं होगा ।

11. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक अनुमन्य पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित कर्मचारी के बचत खातें में स्थानान्तरित करना होगा तथा सर्विस टैक्स, EPF एवं नियमानुसार अन्य वैधानिक चार्जेज FSI इत्यादि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक जमा करना होगा तथा संबंधित सभी प्रपत्र अगले माह के पारिश्रमिक से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले देयक के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराने होंगे ।

12. चयनित सेवाप्रदाता संस्था द्वारा प्रत्येक माह के पारिश्रमिक से संबंधित देयक निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 01 तारीख तक जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे ।

13. आउट सोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले जिन कार्मिकों का EPF एवं FSI खाता नहीं है, उनके एवं खाते खुलवाने की कार्यवाही चयनित सेवाप्रदाता संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी ।

14. डाटा इन्ट्री आपरेटर के कार्य छोड़ने की दशा में सेवा प्रदाता संस्था को कार्य में बिना किसी व्यवधान के अन्य डाटा इन्ट्री आपरेटर की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी ।

15. उपरोक्त सेवाऐं दिनांक 01–07–2017अथवा चयनित सेवाप्रदाता संस्था द्वारा सेवा प्रारम्भ करने की तिथि (जो भी बाद में हो) से लेकर दिनांक 28.02.2018 तक के लिए ही अनुबंधित की जायेगी ।

16. उपरोक्त सेवाऐं पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जायेंगी एवं किसी भी समय सेवाप्रदाता संस्था को एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है ।

17. निविदादाता को अपनी निविदा (टेक्निकल तथा फाइनेंसियल) दो पृथक–पृथक लिफाफों में जमा करना होगा । टेक्निकल लिफाफे में डाटा इन्ट्री आपरेटरों की सेवायें उपलब्ध कराये जाने से संबंधित सेवा प्रदाता के रूप में कार्य से संबंधित अनुभव आदि देने होंगे तथा फाईनेशियल लिफाफे में अपनी प्रस्तावित दरें देनी होंगी ।

18. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त संबंधित फर्म को अंकन रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।

19. किसी वाद के मामले में न्याय क्षेत्र जनपद गाजीपुर होगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
गाजीपुर।